भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 28 / 2015

1 लखीप्रसाद पुत्र बिशेशर नवीरा श्योदयाल
2 नन्दलाल पुत्र बिशेशर नवीरा श्योदयाल जाति नाई निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सावित्री पुत्री पालीराम जाति नाई निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2 शुभम पुत्र कन्हैयालाल गजानन्द
3 शंकर पुत्र कन्हैयालाल गजानन्द जाति नाई निवासी सी./ओ. मनोज ठकराज गोपालपुरा आसनसोल (प.बं.)
4 रूकमणी स्त्री राधेश्याम जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 झाड़ी के नीचे सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 सुभाष पुत्र राधेश्याम नवीरा गजानन्द जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 झाड़ी के नीचे सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 राजु पुत्र राधेश्याम नवीरा गजानन्द जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 झाड़ी के नीचे सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 रमेश कुमार पुत्र राधेश्याम नवीरा
8 सुरेश कुमार पुत्र राधेश्याम नवीरा जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 झाड़ी के नीचे सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
9 सुमन पुत्री राधेश्याम नवीरा गजानन्द जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 झाड़ी के नीचे सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
10 विजय पुत्र ताराचन्द नवीरा मुरलीधर जाति नाई निवासी सी./ओ. मनोज ठकराज गोपालपुरा आसनसोल (प.बं.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

11 प्रवीण पुत्र ताराचन्द नवीरा मुरलीधर जाति नाई निवासी सी./ओ. मनोज ठकराज गोपालपुरा आसनसोल (प.बं.)

12 दीपक पुत्र ताराचन्द नवीरा मुरलीधर जाति नाई निवासी सी./ओ. मनोज ठकराज गोपालपुरा आसनसोल (प.बं.)

13 श्रवण पुत्र ताराचन्द नवीरा मुरलीधर जाति नाई निवासी सी./ओ. मनोज ठकराज गोपालपुरा आसनसोल (प.बं.)

14 तहसीलदार भू.अभि. एंव उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

15 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 15.04.2015
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी सावित्री
बनाम लखीप्रसाद वगै. मु.नं. 87/2013
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * न्यायालय

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2013 में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 317 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.33 हैक्टेयर, ,खसरा नम्बर 322 रकबा 2.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 1.29 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम जसरापुर तहत तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक बाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.04.2015 को गलत रूप से स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करते समय आदेश 39 नियम 1 व 2 के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। कानून से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तिम निस्तारण के समय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करते हुए निर्णय जैर बहस पारित करना चाहिये। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करते समय उपरोक्त तीनों प्रावधानों की पालना निर्णय जैर बहस में नहीं की। इस प्रकार निर्णय जैर बहस बिना कानून प्रकिया व अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित जमीन के पहले हिस्सेदार श्योदयाल, गजानन्द, बसन्ता थे तथा खातेदार थे जिसमें बसन्ता के गंगादेवी व शंकर वारिसान थे जिनकी मृत्यु हो गई व शंकर के कोई औलाद नहीं थी इसलिए बसन्ता के 1/3 हिस्से की भूमि श्योदयाल व गजानन्द के हिस्से में दर्ज हो गई और वाद वर्णित भूमि में श्योदयाल के वारिसान का 1/2 हिस्सा व गजानन्द के वारिसान का 1/2 हिस्सा हो गया। गजानन्द अब से लगभग 70–80 साल पूर्व ही बाहर आसनसोल कमाने खाने के लिये चला गया था उसके वारिसान भी वही रहे। गजानन्द ने अपने हिस्से की भूमि को कभी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

काश्त नहीं किया उन्होंने बहुत पहले ही अपने हिस्से की भूमि को श्योदयाल के हिस्से में तर्क कर दिया था। श्योदयाल व उसके वारिसान ही गत 60–70 वर्ष से उक्त वाद वर्णित भूमि पर काबित काश्त है तथा श्योदयाल के वारिस अपीलान्ट नम्बर 1 लखीप्रसाद ने ही मकान बना रखे है। वाद वर्णित भूमि में सावित्री के पिता का कोई हिस्सा नहीं है तथा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारी श्योदयाल का 1/3 हिस्सा था तथा गजानन्द का 1/3 हिस्सा था व बसन्ता का 1/3 हिस्सा था। बसन्ता व उसके वारिसान की मृत्यु के बाद विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा श्योदयाल व उसके वारिसान अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 का हो गया व 1/2 हक हिस्सा गजानन्द व उसके वारिसान का हो गया। रेस्पोडेनट नम्बर 1 का विवादित भूमि के किसी अंश पर कोई कब्जा नहीं है ना ही वह इस भूमि पर परिवार सहित आबाद है तथा विवादित जमीन पर प्रार्थीया का कोई कुआ व मान है। झुंठा मुकदमा पेश किया है। विचारण न्यायालय ने बिना कानून के विवादित जमीन के कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवाई है। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की काश्त गलत रूप से बताई है। कानून से कब्जे काश्त की रिपोर्ट बाबत कमिश्नर जारी नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करते समय पत्रावली व अपीलान्टस की जवाब देही को नजर अंदाज किया है विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया। कानून से रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। रिकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी की जमीन के फुटस लेने से नहीं रोका जा सकता। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से उसको अपूर्ण क्षति होती है। इस प्रकार आदेश जैर बहस गलत रूप से पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में लखी प्रसाद, नन्दराम पिता बिशेशर, श्यामसुन्दर वल्द चुन्ना राधेश्याम शिवजी कन्हीया पि गंगा शंकर वल्द बसंता कौम नाई सा.देह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि... सीकर

खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि खसरा नम्बर 324 रकबा 1.29 व खसरा नम्बर 322 में से 0.15 हैक्टेयर भूमि पर लखीप्रसाद नन्दराम पि. बिशेशर श्यामसुन्दर वल्द चुन्ना राधेश्याम शिवजी कन्हीया पिता गंगा शंकर वल्द बसंता कौम नाई काश्त करते है तथा खसरा नम्बर 317 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.33, खसरा नम्बर 322 रकबा 2.40 हैक्टेयर पर श्रीमती सावत्री पत्नी पुत्री पालीराम जाति नाई काश्त कर रही है। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा होना व मौके पर कब्जा काश्त होना पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 22.05.2014 से स्पष्ट है। मगर विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित कर, किसी अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान, रहननामा, करवाने पर आमादा है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष का पाया जाता है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष का बनता है। अगर वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के कब्जा काश्त भूमि में उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करते है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को ही होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1998(2) राज पेज 741, डीएनजे 2006(1) राज पेज 421, आरएलडब्ल्यू 2005(1) एससी पेज 102 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य खातेदारी की घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से विवादित भूमि पर प्रार्थीया की काश्त प्रकट है। वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झनूं

रखते हुए विचारण न्यायालय ताफैसला वाद विवादित भूमि के किसी भी भाग को रहन, बेचान, गिरवी या हस्तान्तरण नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इमसें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)